

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

ई-मेल

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 13/05/2026

विषय :- अंचल स्तर पर आयोजित होने वाले बैठकों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग के संज्ञान में यह मामला आया है कि अंचलाधिकारियों द्वारा अंचल स्तर पर बार-बार बैठक आयोजित कर राजस्व कर्मचारियों को उक्त बैठक में भौतिक रूप से सम्मिलित होने का निदेश दिया जाता है, जिससे राजस्व कर्मचारियों को अपना पंचायत/हल्का को छोड़कर अंचल में जाने के कारण उन्हें आवंटित राजस्व संबंधी कार्यों के ससमय निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न होता है।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपने कर्णांकित कार्यालय यथा- पंचायत सरकार भवन/राजस्व कचहरी भवन/अन्य कोई कर्णांकित भवन से राजस्व कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, भूमि विवाद के प्रभावी समाधान हेतु वर्तमान में अंचल स्तर पर प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले बैठकों में भौतिक रूप से उनके द्वारा भाग लिया जायेगा तथा अंचल स्तर पर अन्य बैठक जिसमें राजस्व कर्मचारियों का भौतिक रूप से उपस्थिति की अनिवार्यता हो को उसी दिन (शनिवार) ही यथासंभव आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे। शनिवार के आलावा सप्ताह के अन्य दिनों में अंचल स्तर पर होने वाले बैठकों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा केवल ऑनलाईन/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही भाग लिया जायेगा।

उक्त व्यवस्था का सभी अंचल अधिकारियों के माध्यम से कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

विश्वासभाजन,


(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।